

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1977/माघ 12, 1898
No. 34] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1977/MAGHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st February, 1977

G.S.R. 51 (B).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976 namely :—

In the Table annexed to the said notification, for S.No. 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“23.	26A(1) and (1A)	Copper and copper alloys produced wholly out of virgin metal.	Weight”

[No. 18 77]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

राजस्व और वैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 51(ख) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के राजस्व और वैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 जून, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपावृद्ध सारणी में क्रम संख्या 23 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“23.	26क (1) और (1क)	पूर्णतः अक्षत घातु से उत्पादित तांबा और तांबे की मिश्र घातु	भार”

[सं० 18/77]

लज्जा राम, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977